दिनांक 27.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 450/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बालिकाओं ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी

रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर आज दिनांक 27-08-2026 को पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में भावनात्मक एवं सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जन भवन परिसर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 20 बालिकाओं ने श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सहित उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।

बालिकाओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। **विशेष बात यह रही कि बालिकाओं द्वारा बांधी गई राखियां उनके द्वारा स्वयं अपने हाथों से तैयार की गई थीं।**

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने बालिकाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर उन्हें बहनों एवं बच्चों के साथ बैठकर राखी बंधवाने और इस पर्व की खुशियां उनके साथ साझा करने का अवसर मिला है। उन्होंने इसे अपने लिए अत्यंत विशेष, भावनात्मक एवं सुखद अनुभव बताया तथा कहा कि बालिकाओं का पुलिस मुख्यालय में आगमन हम सभी के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है।

पुलिस महानिदेशक ने इस विशेष अवसर के आयोजन हेतु माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से पुलिस परिवार को बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को आत्मीयता के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बालिकाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक बालिका के अपने सपने और लक्ष्य हैं। कोई पुलिस अधिकारी बनना चाहती है, कोई खिलाड़ी तो कोई शिक्षा अथवा अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सपना देखती है। उन्होंने बालिकाओं से अपने सपनों को पूरे आत्मविश्वास, लगन और परिश्रम के साथ साकार करने का आह्वान किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि वे जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगी।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी बालिकाओं एवं उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में उपस्थित पुलिस महानिदेशक, साइबर अपराध/रेलवे/ईओडब्ल्यू/फायर सर्विसेज, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/मानवाधिकार, पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था/भ्रष्टाचार निवारण संगठन, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया।

रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम पुलिस एवं समाज के मध्य विश्वास, अपनत्व और संवेदनशीलता के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने वाला रहा।

दिनांक 27.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 451/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना जिगना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **40 किलो 545 ग्राम अवैध गांजा**
- **चोरी की 01 बोलेरो वाहन**
- **02 मोबाइल फोन**
- **1200/–रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 26.08.2026 की रात्रि थाना जिगना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रयागराज–मीरजापुर हाइवे गोसीपुर नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–अंजनी लाल 2–रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 40 किलो 545 ग्राम अवैध गांजा, चोरी की 01 बोलेरो वाहन, 02 मोबाइल फोन, 1200/–रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जिगना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंजनी लाल निवासी शेरपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद बक्सर , बिहार।

2–रविन्द्र निवासी गुरूदास मठिया थाना मुफासिल जनपद बक्सर, बिहार।

बरामदगी

1–40 किलो 545 ग्राम अवैध गांजा।

2–चोरी की 01 बोलेरो वाहन।

3–02 मोबाइल फोन।

4–1200/–रूपये नगद आदि।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना परसपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दुर्गेश को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मैनपुरी/थाना भोगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मैनपुरी द्वारा थाना भोगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–जमालुद्दीन 2–सरीफ को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बेवाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बेवाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 61(1) बीएनएस व सपठित धारा 5(जे) (ii) व 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त शिम्भू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लोकी उर्फ रोकी उर्फ राकेश को 07 वर्ष के कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————